कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक– 153 /मृदा परी0लक्ष्य/2014–15/ देहरादून : दिनांक 07 /अप्रैल, 2014

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी उत्तराखण्ड।
2. सहायक निदेशक(मृदा परीक्षण), क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल /रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर।

विषय – मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिये वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं दिशा निर्देश।

मृदा परीक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिये मृदा नमूनों के एकत्रीकरण, परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लक्ष्य निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दो वित्तीय वर्षो क्रमशः 2014–15 एवं 2015–16 तक समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। मार्च, 2014 तक कुल 3.50 लाख कृषकों को ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं, जबकि प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 9.12 लाख है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रगति कम होने का मुख्य कारण एक कृषक से एक से अधिक मृदा नमूने ग्रहित किया जाना है, जिस कारण से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक कृषक से सिर्फ एक मृदा नमूना ही ग्रहित किया जायेगा! एक कृषक से एक से अधिक मृदा नमूना ग्रहित किये जाने पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुल्क रू0 5.00 कृषक से लिया जायेगा। न्याय पंचायत प्रभारी, न्याय पंचायत स्तर पर एक पंजिका बनाकर उसमें ग्राम वार, कृषक वार मृदा नमूने एकत्रीकरण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण से सम्बन्धित सूचना तैयार कर संरक्षित रखेगा जिसको निरीक्षण के समय देखा जायेगा। मुख्य कृषि अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निदेशालय से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2014–15 हेतु जनपदवार प्राथमिक एवं द्वितीयक तत्व(गन्धक) तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के मृदा नमूनों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किया जा रहा है–

क्र0सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (संख्या)		मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण (संख्या)
		प्राथमिक तत्व	गन्धक एवं सूक्ष्म तत्व	
1.	नैनीताल	8040	3153	8040
2.	ऊधमसिंहनगर	10260	3420	10260
3.	अल्मोड़ा	11255	2251	11255
4.	बागेश्वर	4550	910	4550
5.	पिथौरागढ़	8190	1638	8190
6.	चम्पावत	3455	691	3455
7.	पौड़ी	17360	3472	17360
8.	रूद्रप्रयाग	3405	681	3405
9.	टिहरी	9280	1856	9280
10.	उत्तरकाशी	3425	685	3425
11.	देहरादून	8285	2523	8285
12.	हरिद्वार	12780	3195	12780
13.	चमोली	6290	1258	6290
	योग उत्तराखण्ड	**106575**	**25733**	**106575**

सहायक निदेशक (मृ0परी0) क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर, गढ़वाल एवं रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, उपरोक्त निर्धारित जनपदवार मृदा परीक्षण लक्ष्यों की अपने मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा इकाई वार फांट कराकर सभी इकाईयों तथा प्रयोगशाला प्रभारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे तथा तद्नुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय इकाईयों द्वारा प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले नमूनों के लिये निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित है उसके अनुसार प्रयोगशालाओं में नमूनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये सहायक निदेशक(मृदा परीक्षण) तथा प्रयोगशालाओं के प्रभारी अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक प्रयास करेंगे। विगत वर्षो में यह देखा गया है, कि इकाईयों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नियत समय सारणी के अनुरूप परिपालन नहीं किया गया, जिससे कार्य की निरन्तरता पर तो प्रभाव पड़ता ही है साथ ही कार्यक्रम की व्यवहारिकता एवं प्रयोगशाला के क्रिया–कलापों पर भी प्रभाव पड़ता है।

क्र0सं0	माह	मृदा नमूने एकत्रीकरण का %	अभ्युक्ति
1.	अप्रैल	05	प्रथम त्रैमास 45%
2.	मई	20	
3.	जून	20	
4.	जुलाई	05	द्वितीय त्रैमास 10%
5.	अगस्त	00	
6.	सितम्बर	05	
7.	अक्टूबर	15	तृतीय त्रैमास 30%
8.	नवम्बर	10	
9.	दिसम्बर	05	
10.	जनवरी	05	चतुर्थ त्रैमास 15%
11.	फरवरी	05	
12.	मार्च	05	

योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुये अक्षरशः परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

1. भारत सरकार की निःशुल्क योजना के अन्तर्गत स्वयं कृषकों द्वारा प्रयोगशाला को उपलब्ध कराये गये 10% की सीमा तक नमूनों का परीक्षण निःशुल्क तथा प्राथमिकता के आधार पर करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाय।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों द्वारा सीधे प्रयोगशाला में मृदा नमूने उपलब्ध कराने पर विश्लेषण शुल्क में किसी प्रकार की छूट नही होगी अर्थात पूर्ण विश्लेषण शुल्क प्राप्त किया जाय।
3. सामान्य कृषि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में मृदा नमूनों का विवरण अलग से पंजिका बनाकर योजनावार रखा जाय तथा प्राप्त मृदा नमूनों को मृदा नमूने प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर विश्लेषित कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित इकाईयों को उपलब्ध कराये

जायें। प्रदर्शन हेतु प्राप्त मृदा नमूनों के परिणाम में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये सम्बन्धित प्रयोगशाला प्रभारी उत्तरदायी होंगें।

4. *प्रदेश की मृदाओं में द्वितीयक तत्व (गंधक) एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला प्रभारी, प्रयोगशाला में प्राप्त प्राथमिक पोषक तत्वों के मृदा नमूनों से ही ग्रामवार लक्ष्य के अनुसार मृदा नमूने छाँट कर द्वितीयक तत्व (गंधक) एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का विश्लेषण निःशुल्क करेंगे। कृषकों से प्राप्त नमूनों में द्वितीयक तत्व (गंधक) एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के नमूनों में विश्लेषण हेतु निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) श्रीनगर गढ़वाल तथा रूद्रपुर उपरोक्तानुसार अपने मण्डल में समीक्षा करते हुए पूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।*

5. *मृदा परीक्षण कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार तथा कृषकों को मृदा परीक्षण की सुविधा कृषक के खेत पर ही उपलब्ध कराने में सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्देश्य से संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) एवं अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के द्वारा सचल भूमि परीक्षण प्रयोगशाला का कार्यक्रम खरीफ एवं रबी में फसल की बुआई से पूर्व निर्धारित कर समय बद्ध रूप से सम्पन्न कराया जाय।*

6. प्रयोगशाला प्रभारी क्षेत्रीय कर्मचारियों से मृदा नमूने प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नमूने से सम्बन्धित सम्पूर्ण वॉछित सूचनायें भी नमूने के साथ उपलब्ध कराये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित हों ताकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड भरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूर्ण रूप से भरने के पश्चात ही क्षेत्रीय कर्मचारियों/कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया जायें।

7. प्रयोगशाला प्रभारी प्रत्येक माह इकाईवार अधिकारियों से सम्पर्क कर मृदा नमूनों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि वर्ष के अन्त में प्रयोगशालाओं पर एकाएक भारी दबाव न बढ़े साथ ही गुणवत्ता सम्बन्धी कार्य पर भी किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे।

8. जनपद के सभी ग्रामों/कृषकों से मृदा नमूना एकत्र किया जाना आवश्यक है। अतः जो ग्राम/कृषक छूट गया हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनके मृदा नमूने एकत्रित कराकर उसका परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय जिससे कि जनपद के सभी ग्रामों/कृषकों को इस कार्यक्रम से आच्छादित किया जा सके।

9. *मुख्य कृषि अधिकारी प्रत्येक माह मृदा परीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगें कि इकाईयों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार मृदा नमूने प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं, साथ ही प्रत्येक त्रैमास में मृदा परीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर समीक्षात्मक रिपोर्ट अपनी आख्या के साथ निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।*

10. *मण्डल स्तर पर जनपदीय प्रयोगशालाओं पर तकनीकी नियंत्रण सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) का है। अतः सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) अपने अधीन जनपदीय प्रयोगशालाओं में मृदा नमूनो का समय से विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रेषण सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी प्रयोगशाला में मृदा नमूने अवशेष की स्थिति में मण्डल की अन्य प्रयोगशालाओं से जहाँ कार्य कम हो से तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था कर अवशेष मृदा नमूनो का विश्लेषण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रेषण समय से सुनिश्चित करेंगे।*

11. मुख्य कृषि अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय पंचायतवार उर्वरता मानचित्र प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी को न केवल उपलब्ध करा दिये जायें, अपितु मानचित्र का कृषि निवेश

भण्डार पर प्रदर्शन(Display) भी हो जाय ताकि न्याय पंचायत प्रभारी उर्वरता मानचित्र के आधार पर कृषकों को उर्वरक प्रयोग करने के विषय में मार्गदर्शन कर सके।

12. *सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठियों मे सम्बन्धित न्याय पंचायत के उर्वरता मानचित्र तथा मृदा परीक्षण के लाभ/महत्व पर अवश्य चर्चा की जाय सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग एवं टिकाऊ खेती की दशा में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।*

13. प्रायः यह पाया गया है कि नमूने में मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच के उपरान्त भी कृषक को उपलब्ध कराये जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सूक्ष्म पोषक तत्वों सम्बन्धी सूचनायें दर्ज नहीं होती, जो कि घोर आपत्तिजनक है। अतः प्रयोगशाला प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि जब नमूने में सूक्ष्म तत्वों का भी विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी दशा में मुख्य पोषक तत्वों सम्बन्धी रिपोर्ट, नमूना विश्लेषण के उपरान्त पूर्व निर्धारित विभागीय रूप–पत्र पर कृषक को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में नमूने से सम्बन्धित सम्पूर्ण विश्लेषण परिणाम दर्ज करने के पश्चात ही कृषक को उपलब्ध कराया जाय। इन निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. *मृदा परीक्षण कार्य की सार्थकता तभी फलीभूत होगी जब यह सुनिश्चित हो जाय कि नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट कृषकों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाय। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नमूनों के विश्लेषण परिणाम भी प्रदर्शन के आयोजन के पूर्व उपलब्ध करा दिये जायें ताकि विश्लेषण परिणाम के आधार पर उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।*

15. सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल तथा रूद्रपुर, उधमसिंहनगर अपने–अपने मण्डल की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 3 तारीख तक संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(सी0एस0 मेहरा)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक– /मृदा परी0लक्ष्य/2014–15/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उनसे सम्बधित निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित–

1. भण्डार सहायक कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जनपदों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल एवं अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. संयुक्त कृषि निदेशक गु0नि0 कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक– /मृदा परी0लक्ष्य/2014–15/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।